08-09-2025

वादी द्वारा श्री विजय शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी द्वारा श्री साहिल शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी स्तर पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 17 नियम 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति विपक्ष को प्रदान की जावे।

प्रकरण उक्त आवेदन पर विचार हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

(सुश्री निशा कुशवाह)
25वें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड
जिला जबलपुर (म.प्र.)

Sahil Sharma for defendant

पुनश्चः—समय 01:30 बजे

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 17 नियम 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. हेतु नियत है।

प्रतिवादी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी

गवाह

उक्त वाद सेक्टर 2 स्थित 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले औद्योगिक भूखंड संख्या 37 के संबंध में प्रस्तुत किया गया है जो राज्य सरकार का है। उक्त भूखंड को राज्यपाल, मध्य प्रदेश की ओर से प्रबंध निदेशक, एमपीआईडीसी द्वारा मेसर्स प्रयाग इंडस्ट्रीज को पट्टे पर दिया गया है। वादी ने इस न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष रूप से अपना पक्ष नहीं रखा है और अभिलेखों से स्पष्ट है कि वह गलत और निराधार तथा झूठे कथन प्रस्तुत करके न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। वादी द्वारा इस तथ्य की पुष्टि के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अगरबत्ती निर्माण गतिविधि हेतु एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु कथित रूप से 40,00,000/– रुपये खर्च किए गए थे। उक्त भूमि पर कोई कारखाना/संरचना/शेड मौजूद नहीं है। यदि वादी ने पट्टे पर दिए गए औद्योगिक भूखंड का उपयोग नहीं किया है और वादी द्वारा कोई औद्योगिक गतिविधियां नहीं की जा रही हैं। दिनांक 11.08.25 और 20.08.25 को हुई पिछली दो सुनवाई के दौरान, वादी द्वारा अपनी साक्ष्य करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और उनके अधिवक्ता ने वादी के खराब स्वास्थ्य के आधार समय प्रदान किये जाने का निवेदन किया। पिछली पेशी अर्थात 20.08.25 को इस न्यायालय ने नोट किया था कि वादी विलंब कर रहा है और पिछली 5 से 6 पेशियों से मामले को स्थगित किया जा रहा है। वादी साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है और वादी के आचरण से यह स्पष्ट है कि वह अपने मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता है। अतः वादी का वाद सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादी द्वारा हस्तगत वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है जो अभी वादी साक्ष्य के स्तर पर है। प्रकरण वर्ष 2022 से लंबित है। प्रकरण में वादी आज दिनांक 08.09.2025 को अनुपस्थित रहा हैं। प्रकरण प्रथम बार वादी साक्ष्य हेतु दिनांक 21.04.2025 को नियत किया गया था, तत्पश्चात वादी को साक्ष्य प्रस्तुति हेतु दिनांक 08.07.2025, 14.07.2025, 23.07.2025, 11.08.2025, 20.08.2025 एवं आज दिनांक 08.09.2025 को अनेक अवसर प्रदान किये गये है, किन्तु वादी द्वारा प्रकरण में आज दिनांक तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा आज भी वादी एवं उनके अधिवक्ता

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

अनुपस्थित है। वादी की अनुपस्थिति से वादी की प्रकरण में उदासीनता दर्शित होती है तथा यह भी प्रतीत होता है कि वादी को प्रकरण मे कोई रूची नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता आज सुनवाई दिनांक को प्रकरण में अनुपस्थित हैं एवं उनकी अनुपस्थिति का कोई कारण अभिलेख पर मौजूद नहीं है और न ही उनकी अनुपस्थिति के संबंध में न्यायालय को अवगत कराया गया है। वादी की अनुपस्थित के कारण वादी पक्ष के विरूद्ध सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 17 नियम 2 में अनुज्ञात उपबंध के अधीन कार्यवाही अग्रसरित किया जाना विधितः अनुज्ञेय है। सुसंगत प्रावधान पर दृष्टिपात किया जाना समीचीन है –

" 2. Procedure If parties fall to appear on day fixed :- Where, on any day to which the hearing of the suit is adjourned, the parties or any of them fall to appear, the Court may proceed to dispose of the suit in one of the modes directed in that behalf by Oder IX or make such other order as It thinks fit. 1(Explanation. - Where the evidence or a substantial portion of the evidence of any party has already been recorded and such party fails to appear on any day to which the hearing of the suit is adjourned, the Court may, in its discretion, proceed with the case as it such party were present.)"

उल्लेखनीय है कि प्रकरण वादी साक्ष्य के प्रक्रम पर नियत किया गया था. परंतु वादी पक्ष की उपरोक्त परिस्थितियों में उपधारित अनुपस्थिति/ व्यतिक्रम के कारण हस्तगत वाद की अग्रेतर प्रगति नहीं हो पा रहीं है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत कुरीलाल रूंगटा वि. बनारसी देवी ए.**

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

आई.आर. 1986 इलाहाबाद 914 (101) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "यदि कोई पक्षकार जिसे साक्ष्य पेश करने अथवा वाद को आगे प्रगति के लिए आवश्यक कोई ऐसा अन्य कार्य करने के लिए समय दिया गया था उपस्थित नहीं होता तो आदेश 17 नियम 3 (ख) में अनुज्ञात उपबंधों के अधीन न्यायालय आदेश 17 नियम 2 सीपीसी के अधीन अग्रसर होगा "

इस प्रकार आदेश 17 नियम 2 सीपीसी के अनुसार हस्तगत मामले में वादी पक्ष के विरूद्ध आदेश 9 नियम 8, व्य.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही अग्रशरित कर हस्तगत प्रकरण का निराकरण किया जाना उचित प्रतीत होता हैं आदेश 9 नियम 8. सीपीसी से संबद्ध विधिक उपबंध निम्नवत है –

8. Procedure where defendant only appears :- . Where the defendant appears and the plaintiff does not appear when the suit is called on for hearing, the Court shall make an order that the suit be dismissed. Unless the defendant admits the claim or part thereof, in which case the Court shall pass a decree against the defendant upon such admission, and, where part only of the claim has been admitted, shall dismiss the suit so far as It relates to the remainder."

प्रतिवादी पक्ष के द्वारा किसी भी अनुतोष अथवा अंशविशेष के स्वीकृति की वांछा नहीं की गयी है, ऐसी दशा में आदेश 9 नियम 8, सीपीसी के अंतर्गत कार्यवाही अग्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्तानुसार हस्तगत वाद आदेश 17 नियम 2 सहपठित आदेश 9 नियम 8 सीपीसी के प्रावधानांतर्गत अदम पैरवी में खारिज/निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में व्यय तालिका निर्मित की जाये।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेख विधिवत अभिलेखागार भेजा जावे।

(सुश्री [illegible] कुशवाहा)
25वें व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड)

GCPB—79—DCGCPB—3-7-25—5,00,000.